UPVR010026382016

Presented on : 26-08-2016
Registered on : 26-08-2016
Decided on : 20-07-2026
Duration : 9 years, 10 months, 25 days

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Session Trial -Old/100378/2016

उत्तर प्रदेश राज्य--अभियोजन पक्ष।

बनाम

1-शमशाद पुत्र निराले,
निवासी-नेवारी, थाना-करारी, जिला-कौशाम्बी।
2-आदिल पुत्र बब्लू
निवासी-नेवारी, थाना-करारी, जिला-कौशाम्बी।

----------अभियुक्तगण।

FORM-A

1-	**शिकायतकर्ता**	वादी मुकदमा उपनिरीक्षक श्री रमेश यादव
2-	**अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता/ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता**	श्री पवन जायसवाल
3-	**अभियुक्तगण**	1-शमशाद 2-आदिल
4-	**अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता**	1-श्री अशफाक 2-श्री अरूण कुमार यादव

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.19 17:05:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

FORM-B

सत्र परीक्षण संख्या-	378/2016
मुकदमा अपराध संख्या-	10/2015
अन्तर्गत धारा-	307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम,
थाना-	लंका
जनपद-	वाराणसी
वाद सत्र सुपुर्द दिनांक-	09.08.2016
अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313दं.प्र.सं.	09.09.2025
अपराध की तिथि-	10.01.2015
एफ०आई०आर का दिनांक-	10.01.2015
आरोप पत्र का दिनांक-	19.04.2016
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	02.12.2016
साक्ष्य प्रांरभ होने की तिथि	02.12.2016
निर्णय के सुरक्षित रखे जाने की तिथि	14.07.2026
निर्णय की तारीख	20.07.2026

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त गण की संख्या	अभियुक्त गण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दण्डादेश	धारा-428 दं0प्र0सं0 के निमित घटायी गयी अवधि
1	**शमशाद**	10.01.2015	31.01.2015	अन्तर्गत धारा-307 IPC. व धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनिमय व 11 पशु क्रूरता अधिनियम	**दोषमुक्त**		
2	**आदिल**	10.01.2015	31.01.2015	अन्तर्गत धारा-307 IPC. व धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनिमय व 11 पशु क्रूरता अधिनियम	**दोषमुक्त**		

FORM-C

अभियोजन/ बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षीगण का विवरण

ए- अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.-1	हेड कां० अनिल कुमार साहनी	चिक एफ.आई.आर.लेखक
पी.डब्ल्यू.-2	निरीक्षक रमेश यादव	वादी मुकदमा
पी.डब्ल्यू.-3	निरीक्षक श्री जय श्याम शुक्ला	बरामदगी साक्षी
पी.डब्ल्यू.-4	हेड कां० वीरेश दत्त त्रिपाठी	द्वितीय साक्षी

बी- बचाव पक्ष के साक्षी- निल

सी- न्यायालय साक्षी- निल

अभियोजन/ बचाव पक्ष के प्रदर्शो का विवरण

ए- अभियोजन-

क्रम संख्या-	प्रदर्श	वस्तु	कागज संख्या
1.	**प्रदर्श क-1**	प्रथम सूचना रिपोर्ट	कागज संख्या-5क/1
2.	**प्रदर्श क-2**	कायमी जी०डी०	कागज संख्या-8क
3.	**प्रदर्श क-3**	प्रार्थनापत्र बाबत जी०डी०	कागज संख्या-18क
4.	**प्रदर्श क-4**	फर्द बरामदगी	कागज संख्या-6क
5.	**प्रदर्श क-5**	आरोप पत्र	कागज संख्या-43अ
6.	**प्रदर्श क-6**	नक्शा नजरी घटनास्थल	कागज संख्या-14क

बी- बचाव पक्ष के प्रदर्श - निल

सी- न्यायालय प्रदर्श- निल

डी- वस्तु प्रदर्श- निल

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत प्रकरण में **अभियुक्तगण शमशाद व आदिल** को पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-10/2015 में अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना-लंका जनपद वाराणसी के अपराध में प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1 वाराणसी द्वारा प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त सत्र सुपुर्द किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि आज दिनांक-10.01.2015 को मैं एस०ओ० रमेश यादव मय जीप सरकारी संख्या-UP65AG0275 मय हमराह कर्मचारीगण क्रमशः कां० 532 संजय सिंह, कां० 1547 सुशील यादव, कां० 1582 लक्ष्मण सिंह व कां० 1328 रविन्द्र यादव के रवाना होकर वास्ते गश्त व भ्रमण क्षेत्र करता हुआ विन्दास ढाबा नुआंव पुहंचा। जहां पर श्री जय श्याम शुक्ला I/c ओ०पी० रमना मय हमराह फैण्टम 39 के कर्मचारीगण क्रमशः कां०3555 पारस यादव, कां० 3790 श्यामजीत यादव के मौजूद मिले। आपस में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बात-चित कर रहे थे कि तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक अदद ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर गोवंशो को लाद कर गोपीगंज की तरफ से आ रहा है, वध के लिए पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) को ले जा रहे हैं। अभी-2 अमरा अखरी बाईपास से टोल प्लाजा की तरफ लिए जा रहे हैं। अगर जल्दी व सावधानी पूर्वक चेक किये जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस पर तत्काल सूचना पर विश्वास मौजूद समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराकर चेकिंग करने लगा। थोड़ी देर में एक ट्रक आती दिखायी देने पर मुखबिर इशारा करके चला गया। ट्रक संख्या-UP70DT6607 को नजदीक आने पर रूकने का इशारा किया गया तो खलासी की तरफ खिड़की से सिर बाहर निकाल कर जोर से चिल्लाते हुए कहां कि ट्रक को इन पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाकर कूचलते हुए भाग चलो नहीं तो पकड़े जायेंगे। इस पर चालक पहिये को तेजी से हम पुलिस वालों की तरफ थोड़ा कूद फांदकर अपनी-2 जान बचायी नहीं तो मारे जाते। पुनः सम्भलकर ट्रक का पीछा किया गया तो टोल प्लाजा पर जाम लगी होने पर चालक खलासी व एक अन्य व्यक्ति ट्रक से उतर कर भागने लगे। जिसपर घेर कर दौड़ाकर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जबकि एक व्यक्ति वाहन स्वामी जाम में खड़ी ट्रकों के मध्य भागने में सफल हो गया। पकड़े गये अभियुक्तों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम शमशाद पुत्र निराले व दूसरे ने अपना नाम मो० आदिल पुत्र बब्लू निवासीगण-ग्राम नेवाड़ी, थाना-करारी, कौशाम्बी बताया। पुनः ट्रक संख्या-UP70DT6607 की गाड़ी के ऊपर देखा गया तो इसमें कूल 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय व 20 राशि बैल) जिनको निर्दयता पूर्व रस्सियों से उनके मुंह व सिंग को ऊपर की तरफ करके बांधा गया है। जिससे उनके मुंह से कराहने की आवाज आ है और मुहं से झाग निकल रहा है। इसपर पकड़े गये अभियुक्तों से परिवहन गोवंशो का करने से संबंधित अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में विफल रहने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण को उनके

जुर्म धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भारतीय दंड संहिता के जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार ट्रक मय गोवंशो को कब्जा पुलिस में व अभियुक्तगण उपरोक्त को हिरासत पुलिस में समय 02:00 AM पर लिया गया। दौराने बरामदगी गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार की गयी। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के आने जाने वाले लोगों को रोक-रोककर गवाही के लिए कहने पर भलाई बुराई के भय से बिना नाम पता बताये। मौके से सभी चले गये। बरामद गोवंशो को उनके जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा हेतु जरिये कां० 3790 श्यामजीत यादव के साथ श्री कृष्ण गो सेवा उत्थान समिति फेसूड़ा सैय्यदराजा, चन्दौली के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर फर्द की मजबून को टार्च व स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एस० आई० श्री जयश्याम शुक्ला से बोल-बोलकर लिखाकर, पढ़ाकर, सुनाकर सभी संबंधित के अलामात बनवाये जाते हैं।

03. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना-लंका पर मुकदमा अपराध संख्या-10/2015 अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। मामले की विवेचना की गई। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा-नजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण शमशाद व आदिल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया।

04. अभियुक्तगण शमशाद व आदिल न्यायालय में हाजिर आया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शमशाद व आदिल के विरूद्ध दिनांक-02.12.2016 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में कुल 04 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जो निम्नवत है-

क्रम संख्या-	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**	**कागज संख्या**
PW-1.	हेड कां० अनिल कुमार साहनी	चिक एफ.आई.आर.लेखक	कागज संख्या 20क
PW-2.	निरीक्षक रमेश यादव	वादी मुकदमा	कागज संख्या 21क
PW-3.	निरीक्षक श्री जय श्याम शुक्ला	बरामदगी साक्षी	कागज संख्या 22क

PW-4.	हेड कां० वीरेश दत्त त्रिपाठी	द्वितीय साक्षी	कागज संख्या 23क

06. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न प्रपत्रों को प्रस्तुत करते हुए साबित कराया है-

क्रम संख्या-	**प्रदर्श**	**वस्तु**	**कागज संख्या**
1.	**प्रदर्श क-1**	प्रथम सूचना रिपोर्ट	कागज संख्या-5क/1
2.	**प्रदर्श क-2**	कायमी जी०डी०	कागज संख्या-8क
3.	**प्रदर्श क-3**	प्रार्थनापत्र बाबत जी०डी०	कागज संख्या-18क
4.	**प्रदर्श क-4**	फर्द बरामदगी	कागज संख्या-6क
5.	**प्रदर्श क-5**	आरोप पत्र	कागज संख्या-43अ
6.	**प्रदर्श क-6**	नक्शा नजरी घटनास्थल	कागज संख्या-14क

07. अभियोजन साक्ष्य दिनांक-07.06.2026 को समाप्त कर बयान अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-09.09.2025 को अंकित किया गया।

अभियुक्त **शमशाद** ने अभियोजन कथानक के संबंध में कहा कि अभियोजन कथानक मेरे बारे में गलत है।

अभियुक्त **शमशाद** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि गलत तथ्यों के आधार पर व तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश यादव के दबाव में मुकदमा पंजीकृत किया।

अभियुक्त **शमशाद** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-2 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है। सभी कार्यवाही थाना परिसर में की गई।

अभियुक्त **शमशाद** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-3 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है। प्रश्न नंबर-3 में वादी मुकदमा एस०एच०ओ० रमेश यादव के जरिये मुखबिर सूचना मिली है। प्रश्न नंबर-6 में एस०आई० जय श्याम शुक्ला कहते हैं कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली। किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट कारित नहीं की है।

अभियुक्त **शमशाद** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-4 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है।

उपरोक्त गवाहान के बयान के संबंध में कहा है कि गलत साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर बयान दिया गया है तथा सफाई साक्ष्य देने से मना किया और आगे कहा कि मैं निर्दोष हूँ।

08. अभियुक्त **आदिल** ने अभियोजन कथानक के संबंध में कहा कि अभियोजन कथानक मेरे बारे में कहा कि उपरोक्त कथन मेरे पक्ष में गलत है।

अभियुक्त **आदिल** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि गलत गलत तथ्यों के आधार पर व तत्कालीन थानाध्यक्ष के दबाव में मुकदमा पंजीकृत किया है।

अभियुक्त **आदिल** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-2 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है। सभी कार्यवाही थाना परिसर में की गई।

अभियुक्त **आदिल** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-3 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है। प्रश्न नंबर-3 में वादी मुकदमा एस०एच०ओ० रमेश यादव के जरिये मुखबिर सूचना मिली है। प्रश्न नंबर-6 में एस०आई० जय श्याम शुक्ला कहते हैं कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली। किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट कारित नहीं की है।

अभियुक्त **आदिल** ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-4 के बयान के सम्बन्ध में कहा है कि उपरोक्त कथन गलत है।

उपरोक्त गवाहान के बयानों के सम्बन्ध में कहा कि गलत साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर बयान दिये हैं। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है। मैं निर्दोष हूँ।

09. अभियुक्तगण को प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अभियुक्तगण **द्वारा कोई भी प्रतिरक्षा साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।** तदोपरान्त पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गयी।

10. न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर क्रूरतापूर्वक कुल 27 राशि गोवंश (7 राशि

गाय व 20 राशि बैल) गोवंशो को लाद कर वध के लिए गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) को ले जा रहे हैं और रोकने पर ट्रक को पुलिस बल पर चढ़ाकर उन्हें कुचल कर हत्या करने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से तथ्य की दो साक्षी पी.डब्लू.-2 एस० आई० श्री रमेश यादव (विवेचक), पी.डब्लू.-3 जय श्याम शुक्ला को परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इसके अलावा हेड कां० अनिल कुमार साहनी (चिक एफ०आई०आर लेखक) व पी०डब्लू-4 हेड कां० वीरेश दत्त त्रिपाठी (विवेचक के रूप में द्वितीय साक्षी) को परीक्षित कराया गया है, जो कि औपचारिक साक्षी हैं। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है और अभियुक्त दोषसिद्ध किया जावे है।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्तगण ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर क्रूरतापूर्वक कुल 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय व 20 राशि बैल) गोवंशो को लाद कर वध के लिए गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) को नहीं ले जा रहे थे और न ही उन्होंने ट्रक को पुलिस बल पर चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास किया। किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हितबद्ध साक्षी है। इसके बयानों में काफी विरोधाभाष है। इसी प्रकार के कई अन्य तर्क अभियुक्त की ओर से अपनी बहस के दौरान उठाये गये, जिनके आधारों पर कहा गया कि अभियोजन कथानक युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं है और अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

13. उभय पक्ष के उपरोक्त तर्को का परिशीलन करने के पश्चात प्रस्तुत मामले में मुख्य रूप से यह अवधारित किया जाना है कि-

1- क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-10.01.2015 को ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय और 20 राशि बैल) को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) ले जाते समय अखरी के पास पुलिस बल द्वारा पकडे जाने पर उन्हें जान से मारने की नियत से ट्रक को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते, का अपराध कारित किया गया?

2- क्या अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षीगण विश्वसनीय है?

3- क्या अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित किया है?

14. उपरोक्त प्रश्नों की अवधारणा के पश्चात ही प्रस्तुत मामले में यह तय हो पायेगा कि क्या अभियुक्तगण वास्तव में दोषी है अथवा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया बेबुनियाद है?

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि ट्रअभियुक्तगण ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर क्रूरतापूर्वक कुल 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय व 20 राशि बैल) गोवंशो को लाद कर वध के लिए गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) को ले जा रहे हैं और रोकने पर ट्रक को पुलिस बल पर चढ़ाकर उन्हें कुचल कर हत्या करने का प्रयास किया। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है।

16. सर्वप्रथम यह न्यायालय अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्य का संक्षिप्त उल्लेख करना न्यायोचित समझता है।

17. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू-1 के रूप में हेड० कां० अनिल कुमार साहनी (चिक एफ०आई०आर लेखक) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक-10.01.2015 को मेरी ड्यूटी थाना-लंका के कार्यालय में कार्यलेख पर रही। उस दिन फर्द गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त व बरामदगी एक अदद ट्रक, 27 राशि गोवंश अन्तर्गत धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा.द.सं. का मुकदमा फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा चिक किता किया गया, जिसका मुकदमा अपराध संख्या-10/2015 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा.द.सं. थाना- लका वाराणसी फर्द के आधार पर चिक अक्षरसः अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट 5अ/1 लगायत 5अ/2 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर थाने की मुहर लगी है व प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर बने है, जिस पर **प्रदर्श क-01** डाला गया तथा G.D. रपट नंबर-10 समय-4:30 दिनांक-10.01.2015 पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान कर उसकी पुष्टि करता हूं। दाखिल बरामदगी फर्द के आधार पर चिक किता कर कायम किया गया। पत्रावली में शामिल जी.डी. कागज संख्या-8अ है जो कार्बन प्रति है जिस पर थाने की मुहर लगी है। समयावधि बीत जाने के कारण मूल जी.डी. विनष्ट की जा चुकी है। जिसकी रिपोर्ट आज कार्यालय पुलिस आयुक्त वाराणसी से लाकर न्यायालय में दाखिल कर रहा हूं। पत्रावली में शामिल मूल जी.डी. रिपोर्ट कागज संख्या-18क है, जिस पर क्रमशः कार्बन प्रति जी.डी. पर **प्रदर्श क-02** तथा प्रार्थना-पत्र जी.डी. पर **प्रदर्श क-03** डाला गया। विवेचक महोदय ने मेरा बयान लिया।

18. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू-2 के रूप में निरीक्षक रमेश यादव (विवेचक) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मैं दिनांक 10/01/2015 को बतौर थानाध्यक्ष लंका, वाराणसी में नियुक्त था। उसी दिन मैं अपने हमराही कर्मचारीगण कां० संजय सिंह, कां. सुशील यादव, कां. लक्ष्मण सिंह, कां. रविन्द यादव के साथ थाना से रवाना होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुये बिन्दास ढाबा नुआंव पर पहुंचा था कि वहीं पर चौकी प्रभारी रमना, S.I. श्री जयश्याम शुक्ला मय हमराही कर्मचारीगण कां. पारस यादव, कां. श्यामजीत यादव के साथ मिले। हमलोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ट्रक

सं. UP70DT6607 पर गोवंशो को लादकर गोपीगंज की तरफ से वध हेतु पण्डुवा पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके मैं S.O. मय हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराकर चेकिंग करने लगें। थोड़ी देर में एक ट्रक अखरी की तरफ से आती दिखाई दी। जिसे मुखबिर ने इशारा कर के बताया कि यह वही ट्रक है जिसमें गोवंश होने की सूचना है और मुखबिर चला गया। नजदीक आने पर उक्त ट्रक सं. UP70DT6607 को रोकने का इशारा किया गया तो खलासी की तरफ से एक व्यक्ति सिर बाहर निकाल कर जोर से चिल्लाते हुये कहा कि ट्रक को इन पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा कर कुचलते हुए भाग चलों नहीं तो पकड़े जायेगें।

19. इस साक्षी ने आगे बयान किया है कि ट्रक चालक ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से ट्रक के पहिये को तेजी से हम पुलिस वालों की तरफ मोड़ा कि किसी तरह कूद-फांद कर अपनी-अपनी जान बचाई गयी नहीं तो मारे जाते। पुनः हम पुलिस वाले संभल कर उक्त ट्रक का पीछा किया गया तो टोल प्लाजा डाफी पर जाम लगने के कारण उक्त ट्रक का चालक व खलासी व एक अन्य व्यक्ति ट्रक से उतर कर भागने लगे जिन्हें दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा व्यक्ति वाहन स्वामी जाम में खड़ी ट्रकों के मध्य भागने में सफल हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शमशाद पुत्र निराले तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो० आदिल पुत्र बब्लू बताया। उपरोक्त ट्रक के बॉडी के ऊपर चढ़कर देखा गया तो उसमें कुल 27 राशि गोवंश (गाय व बैल) मौजूद थे, जिनको निर्ममता पूर्वक रस्सियों से उनके मुंह व सींग को ऊपर की तरफ खींच कर बांधा गया था जिससे वे कराह रहे थे व उनके मुँह से झाग निकल रहा था। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से उपरोक्त गोवंशो का परिवहन करने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके। अतः उन्हें कारण गिरफ्तारी अन्तर्गत धारा- 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, व 11 पशु क्रूरता अधि. व 307 भा.द.सं. का अपराध बताते हुए समय करीब 2:00 बजे प्रातः हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गोवंशो को कब्जा पुलिस में लिया गया।

20. इस साक्षी ने आगे बयान किया है कि दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो-निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये। दौरान बरामदगी, गिरफ्तारी जनता के तमाम लोग आ गये परन्तु गवाही के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। बरामद गोवंशो को उनके जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा के लिये कां. श्यामजीत यादव के साथ श्री कृष्ण गो सेवा उत्थान समिती, फेसुला सैय्यदराजा चन्दौली भेजवाया गया। मौके पर स्ट्रीट लाईट की रोशनी में मेरे द्वारा बोलने पर S.I. श्री जयश्याम शुक्ला द्वारा फर्द लिखी गई एवं सभी को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक-एक प्रति अभियुक्तगण को अलग से देकर पुनः उनके हस्ताक्षर बनवाये गये। उपस्थित साक्षियों को साथ मैंने भी फर्द पर हस्ताक्षर मौके पर बनाया था। फर्द पत्रावली में शामिल कागज संख्या-6अ है, को देखकर साक्षी ने उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क-04** डाला गया। बरामद ट्रक (माल मुकदमाती) को तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा 21/02/2015 को रिलीज किये जाने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है जो

आदेश पत्रावली में संलग्न है। बरामद गोवंशो को उसी दिन उनकी सुरक्षा व देख-रेख के लिये प्रबंधक राधाकृष्ण गौशाला समिति इमिलिया फेसूड़ा थाना-धीना जनपद-चन्दौली को सुपुर्दगी में दे दिया गया था।ज जिसकी रसीद कागज संख्या-12अ/3 है व 12अ/4 रिपोर्ट है तथा गोवंशो की हुलिया का फर्द कागज संख्या-13अ/1 पत्रावली में संलग्न है।

21. **अभियोजन की ओर से पी.डब्लू-3 के रूप में निरीक्षक जय श्याम शुक्ला को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है** कि मैं दिनांक-10.01.2015 को चौकी प्रभारी रमना थाना-लंका, वाराणसी के पद पर तैनात था। उसी दिन इस मुकदमे के वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष-लंका, वाराणसी श्री रमेश यादव अपने हमराह कर्मचारीगण क्रमशः कां० 532 संजय सिंह, कां० 1547 सुशील यादव, कां० 1582 लक्ष्मण सिंह तथा कां० 1328 रविन्द्र यादव के साथ सरकारी जीप संख्या- UP65AG0275 से भ्रमण करते हुए बिंदास ढाबा नुआंव पर मुझसे मिले। मैं उस समय अपने हमराह फैंटम 39 के कर्मचारीगण कां० 3555 पारस यादव व कां० 3790 श्यामजीत यादव के साथ मिले। आपस में अपराध व अपराधियों के बारे में बातचीत करने के दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि एक ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर गोवंशों को लादकर गोपीगंज की तरफ से आ रहा है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है और अमरा अखरी बाईपास को पार करते हुए टोल प्लाजा की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए सभी कर्मचारीगण को अवगत कराकर चेकिंग करने लगे। थोड़ी देर में एक आते हुए ट्रक की तरफ इशारा कर मुखबिर चला गया।

22. इस साक्षी ने आगे बयान किया है कि ट्रक संख्या-UP70DT6607 नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया गया तो खलासी की तरफ से खिड़की से सर बाहर आकर जोर से चिल्लाते हुए खलासी ने कहा कि ट्रक को इन पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा दो, कुचलते हुए भाग चलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। इस पर चालक पहियों को तेजी से हम पुलिस वालों की तरफ मोड़ा तो कूद-फांद कर सभी ने अपनी जान बचाई। भागते हुए ट्रक का पीछा किया गया तो टोल प्लाजा पर जाम लगे होने के कारण चालक खलासी एवं एक अन्य व्यक्ति ट्रक से उतरकर भागने लगे जिस पर घेर कर, दौड़कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम शमशाद पुत्र निराले और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद आदिल पुत्र बब्लू बताया। ट्रक संख्या-UP70DT6607 की बॉडी के ऊपर चढ़कर देखा गया तो उसमें कुल 27 राशि गोवंश जिन्हें निर्ममता पूर्वक रस्सियों से उनके मुंह व सींग को ऊपर करके बांधा गया था और उनके मुंह से कहारने की आवज निकल रही थी और मुँह से झाग निकल रहा था।

23. इस साक्षी ने आगे बयान किया है कि पकड़े गये व्यक्ति से गोवंशो को परिवहन करने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में विफल रहने पर अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा.द.सं. के जुर्म से अवगत कराते हुये नियमानुसार ट्रक का गोवंशो को कब्जा पुलिस में व अभियुक्तगण को हिरासत में समय 2:00 AM पर लिया गया। दौरान बरामदगी एवं गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का

अक्षरशः पालन करते हुए आने जाने वाले लोगों को रोक-रोक कर गवाही के लिये कहने पर भलाई बुराई के डर से सभी बिना नाम बताये मौके हट-बढ़ गये। बरामद गोवंशो को उनकी सुरक्षा हेतु जरिये कां० 3790 श्यामजीत यादव के साथ कृष्ण गो सेवा संस्थान समिती फेसुला सैय्यदराजा चन्दौली के लिये भेजा गया। फर्द की मजमून को ट्रार्च व स्ट्रीट लाईट की रोशनी में थानाध्यक्ष श्री रमेश यादव के बोलने पर मेरे द्वारा शब्द ब शब्द लिखकर, पढ़कर, सुनाकर फर्द की एक-एक प्रति अभियुक्तों को देकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर मौके पर ही बनाये गये थे। फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। पत्रावली में शामिल कागज संख्या-6अ जो फर्द गिरफ्तारी है, को देखकर मैं उसपर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क-04** पूर्व से पड़ा हुआ है। विवेचक महोदय ने मेरा बयान लिया था।

24. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू-4 के रूप में हेड कां० वीरश दत्त त्रिपाठी को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि इस मुकदमे के विवेचक एस.आई. पी.एन. यादव के साथ हम काम कर चुके हैं और उनको लिखते-पढ़ते हुए देखें हैं। उपरोक्त मुकदमें में आरोप-पत्र कागज संख्या-4अ जो शामिल पत्रावली **प्रदर्श क-05** दिनांकित-24.02.2015 है, जो उनके लेख एवं हस्ताक्षर में है। मैं उसकी पहचान कर पुष्टि करता हूं। नक्शा नजरी कागज संख्या-14अ उनके लेख एवं हस्ताक्षर में है, जिसपर **प्रदर्श क-06** डाला गया, जिसकी मैं पहचान कर पुष्टि करता हूं। दौरान विवेचना विवेचक ने पर्चा नंबर-04 किता करके आहूत पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया।

<u>निष्कर्ष</u>

25. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन को अपना केस युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना है तभी अभियुक्त की दोषसिद्धि की जा सकती है और अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **<u>Abbas Ahmad Choudhary Vs State of Assam 2010 Cr.L.J. 2060 S.C.</u>** प्रस्तुत की है। In which it has been laid down that in a matter of rape, the statement of prosecutrix must be given primary consideration, but at the same time, a broad principle that the prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt applies equally to a case of rape and there can be no presumption that the prosecutrix would always tell the entire story truthfully.

26. यह न्यायालय बचाव पक्ष के उक्त तर्क से सहमत है कि अभियुक्तगण की दोषसिद्धि उसी स्थिति में ही की जा सकती है जबकि अभियोजन द्वारा अपने मामले को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित कर दिया गया हो।

27. अवधार्य बिन्दु संख्या-1:-

अवधार्य बिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि-

क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-10.01.2015 को ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय और 20 राशि बैल) को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) ले जाते समय अखरी के पास पुलिस बल द्वारा पकडे

जाने पर उन्हें जान से मारने की नियत से ट्रक को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते, का अपराध कारित किया गया?

28. अभियोजन ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-10.01.2015 को ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर 27 राशि गोवंश (7 राशि गाय और 20 राशि बैल) को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु गोपीगंज से पण्डुवा (पश्चिम बंगाल) ले जाते समय अखरी के पास पुलिस बल द्वारा पकडे जाने पर उन्हें जान से मारने की नियत से ट्रक को उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा गोवंश को वध हेतु क्रूरतापूर्वक लादकर नहीं ले जाया जा रहा था और न ही पुलिस बल पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। वह निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया गया है।

29. इस सम्बंध में फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक-10/01/2015 को हमराही कर्मचारीगण कां० संजय सिंह, कां. सुशील यादव, कां. लक्ष्मण सिंह, कां. रविन्द्र यादव के साथ क्षेत्र भ्रमण करते हुये बिन्दास ढाबा नुआंव पर पहंचने पर चौकी प्रभारी रमना, S.I. श्री जयश्याम शुक्ला मय हमराही कर्मचारीगण कां. पारस यादव, कां. श्यामजीत यादव आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर व इशारा करने पर कि यह वही ट्रक है जिसमें गोवंश लदे हैं, तब नजदीक आने पर उक्त ट्रक सं. UP70DT6607 को रोकने का इशारा किया गया तो खलासी की तरफ से एक व्यक्ति सिर बाहर निकाल कर जोर से चिल्लाते हुये कहा कि ट्रक को इन पुलिस वालों के ऊपर चढ़ा कर कुचलते हुए भाग चलों नहीं तो पकड़े जायेगें। तब ट्रक चालक ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से ट्रक के पहिये को तेजी से हम पुलिस वालों की तरफ मोड़ा कि किसी तरह कूद-फांद कर अपनी-अपनी जान बचाई गयी नहीं तो मारे जाते। हम पुलिस वाले संभल कर उक्त ट्रक का पीछा किया गया तो टोल प्लाजा डाफी पर जाम लगने के कारण उक्त ट्रक का चालक व खलासी व एक अन्य व्यक्ति ट्रक से उतर कर भागने लगे जिन्हें दौड़ाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा व्यक्ति वाहन स्वामी जाम में खड़ी ट्रकों के मध्य भागने में सफल हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शमशाद पुत्र निराले तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मो० आदिल पुत्र बब्लू बताया। उपरोक्त ट्रक के बॉडी के ऊपर चढ़कर देखा गया तो उसमें कुल 27 राशि गोवंश (गाय व बैल) मौजूद थे, जिनको निर्ममता पूर्वक रस्सियों से उनके मुंह व सींग को ऊपर की तरफ खींच कर बांधा गया था जिससे वे कराह रहे थे व उनके मुँह से झाग निकल रहा था। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से उपरोक्त गोवंशो का परिवहन करने का अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके। तब अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गोवंशो को कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके पर स्ट्रीट लाईट की रोशनी में मेरे द्वारा बोलने पर S.I. श्री जयश्याम शुक्ला द्वारा फर्द लिखी गई एवं सभी को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। बरामद गोवंशो को उसी दिन उनकी सुरक्षा व देख-रेख के लिये श्रीकृष्ण गौशाला समिति फेसुड़ा सैय्यद राजा जनपद-चन्दौली को सुपुर्दगी में दे दिया गया था।

30. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 निरीक्षक रमेश यादव ने अपने मौखिक साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कथन किया है कि दिनांक-10.01.2015 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण शमशाद और आदिल को ट्रक संख्या-UP70DT6607 में 27 अदद राशि गोवंश को क्रूतापूर्वक लादकर ले जाते हुए अखरी के पास पकड़ा था। पकड़ने के दौरान अभियुक्तगण ने उन पर जान से मारने की नियत से ट्रक को मोड़ा, परन्तु हम लोग सतर्कतावश बच गये। ट्रक की तलाशी पर उक्त गोवंश बरामद हुए, जिनके मुँह से झाग भी निकल रहा था। मौके पर फर्द बनायी गयी। फर्द को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान किया है कि मुखबिर ने वाहन का हुलिया नहीं बताया था। जब हम पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया तब हम पुलिस वाले कि वाहन से दूरी लगभग पाँच कदम थी। इस संबंध में विवेचक ने नक्सा नजरी प्रदर्श क-6 से साबित किया है।

31. इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या-3 निरीक्षक जयश्याम शुक्ला को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने भी कथन किया है कि घटना के समय वह भी मौके पर मौजूद था और इसी साक्षी के द्वारा बोल बोल कर फर्द लिखी गयी। इस साक्षी ने भी बिन्दास ढावा के पास अभियुक्तगण के बारे में चर्चा करना बताया है तथा डाफी टोल प्लाजा के पास अभियुक्तगण को पकड़ना बताया है, जबकि नक्शा नजरी में ट्रक को रोकना व मुल्जिम द्वारा पुलिसकर्मियों पर ट्रक को चढ़ाने का स्थल बिन्दास ढावा के सामने दर्शाया है। इस प्रकार उक्त घटना स्थल संदिग्ध है।

32. इस प्रकार नक्शा नजरी में वह स्थल दर्शित नहीं है, जहाँ पर अभियुक्तगण द्वारा ट्रक पुलिस बल पर चढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार जिस स्थल पर अभियुक्तग्ण द्वारा पुलिस बल पर ट्रक चढ़ाकर हत्या किये जाने का प्रयास करना बताया है, वह स्थल भी नक्शा नजरी व अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से साबित नहीं है।

33. इस साक्षी ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान किया है कि मैं अपने हमराही कर्मचारियों के साथ रवाना होकर क्षेत्र भ्रण करते हुए बिन्दास ढावा नुआंव पर पहुँचा तो वहीं पर चौकी प्रभारी रमना, एस०आई० जय श्याम शुक्ला हमराहियों के साथ मिले और आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना मिली कि ट्रक संख्या-UP70DT6607 पर गोवंशों को लादकर वध हेतु पण्डुवा पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। इस साक्षी ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अखरी के पास मुखबिर के इशारा करने पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया और डाफी टोल प्लाजा के पास जाम लगने के कारण ट्रक का चालक और खलासी व एक अन्य व्यक्ति ट्रक से उतर कर भागने लगे। जबकि नक्शा नजरी में ट्रक को रोकना व मुल्जिम द्वारा पुलिसकर्मियों पर ट्रक को चढ़ाने का स्थल बिन्दास ढावा के सामने दर्शाया है। इस प्रकार उक्त घटना स्थल संदिग्ध है।

34. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा ट्रक संख्या-UP70DT6607 में क्रूरतापूर्वक 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को लादकर वध हेतु ले जा रहे थे और उनके मुख से झाग भी निकल रहे थे। इस संबंध में विवेचक द्वारा अथवा मौके पर पुलिस बल द्वारा पकड़े गये इन गोवंशों का कोई

चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इन गोवंशों का चिकित्सा कराये जाने का ही कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या-3 की ओर से अपने मौखिक साक्ष्य में इस साक्षी ने भी बरामद गोवंश के मुख से झाग निकलना व कराहाने की आवाज आने का साक्ष्य दिया है, लेकिन इस साक्षी ने भी बरामद गोवंश का कोई चिकित्सय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही चिकित्सा के संबंध में कोई साक्ष्य ही दिया है। फर्द बरामदगी में अथवा अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को श्री कृष्ण गो सेवा उत्थान समिति फेसुदा सैय्यद राजा चंदौली की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन किया है, परन्तु इस समिति के संबंध में साक्ष्य आहूत हेतु न्यायालय द्वारा समन पर श्रीकृष्ण गो सेवा उत्थान समिति की कोई संस्था न होने का कथन अंकित किया गया। तब यह तथ्य भी संदिग्ध है कि उक्त बरामद पशुओं को किसकी सुपुर्दगी में दिया गया। इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या-1 (चिक एफ०आई०आर० लेखक) व पी०डब्लू-4 विवेचना के प्रपत्र आरोप पत्र व नक्शा नजरी को को द्वितीयक साक्षी के साक्ष्य से साबित किया है, जो कि यह औपचारिक साक्षी हैं।

35. अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में बयान किया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

36. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण से बरामद 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का कथन किया है, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा बरामद पशुओं के साथ किस प्रकार की क्रूरता की गयी है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अभियोजन द्वारा किसी पशु को घायल होने अथवा चोट होने अथवा मुँह से झाग निकलने व क्रूरतापूर्वक बाँधकर ले जाये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

37. इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास किये जाने का तथ्य व ट्रक नंबर-UP70DT6607 में कुल 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्यों से साबित नहीं है।

38. अवधार्य बिन्दु संख्या-2:-

अवधार्य बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विरचित किया गया है कि-

क्या अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षीगण विश्वसनीय है?

39. अभियोजन ने अपने बहस में तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी विश्वसनीय साक्षीगण है। इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

40. जहाँ तक अभियोजन साक्षी संख्या-2 वादी मुकदमा का प्रश्न है तो पी०डब्लू-2 वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित नहीं किया है। फर्द में यह

तथ्य अंकित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा किस गति व किस प्रकार से ट्रक उनके ऊपर चढ़ाकर दबाने का प्रयास किया और न ही यह तथ्य अंकित किया है कि जहाँ पर अभियुक्तगण ने पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, उस स्थान का नाम व घटना स्थल के बारे में साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षी संख्या-3 ने भी इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, मात्र यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास किया। इस साक्षी ने अपने बयान में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कि अभियुक्तगण द्वारा कितनी तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास किया। शेष अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-1 हेड कां० अनिल कुमार साहनी (चिक एफ.आई.आर लेखक) है। पी.डब्लू.-4 हेड कां० वीरेश दत्त त्रिपाठी (विवेचना का द्वितीयक साक्षी) है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। तब औपचारिक साक्षी से भी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

41. अवधार्य बिन्दु संख्या-3:-

अवधार्य बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि-

क्या अभियोजन अपने द्वारा पेश किये गये साक्षीगण के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित कर पाया है?

42. अभियोजन ने बहस दौरान तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण पर पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास करने व ट्रक नंबर-UP70DT6607 में कुल 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का आरोप है। इसके विपरीत अभियुक्तगण द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियोजन कथानक **युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित** नही है।

43. प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू-2 वादी मुकदमा व पी०डब्लू०-3 ने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित नहीं किया है। इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास करने व ट्रक नंबर-UP70DT6607 में कुल 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे)को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का कथन किया है, परन्तु उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के निस्तारण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से ट्रक तेज गति से चलाकर उन्हें दबाये जाने का प्रयास करना एवं ट्रक नंबर-UP70DT6607 में कुल 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित नहीं है। शेष औपचारिक साक्षीगण हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। तब

औपचारिक साक्षी से भी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

44. सम्मानित विधि व्यवस्था **वासुदेव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 पी.एन.पी. पेज 904** SC में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि दोषसिद्धि केवल उपधारणा पर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा **आनन्द राम चन्द्र चोगले बनाम सीदाराय लक्ष्मण चोगले व अन्य 2019, 8** SCC **पेज 50** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभियुक्त को संदेह उत्पन्न करने का अधिकार है परन्तु अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन का है।

45. अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से ऐसा कोई विश्वसनीय साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना साबित होती है। इस प्रकार अभियुक्तगण पर पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तेज गति से ट्रक लाकर पुलिस वालों को दबाने का प्रयास किये जाने का तथ्य व ट्रक नंबर-UP70DT6607 में कुल 27 राशि गोवंश (जिनमें 7 राशि गाव व 20 राशि बैल थे) को क्रूरतापूर्वक ले जाये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्यों से साबित नहीं है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

46. उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के निस्तारण से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होती हो।

47. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने एवं माननीय न्यायालयों की उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के प्रकाश में ध्यानावस्थित होकर विचार करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण **शमशाद व आदिल** के विरूद्ध लगाये आरोप अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **शमशाद व आदिल** को सत्र परीक्षण सं.-378/2016, मुकदमा अपराध सं.-10/2015, थाना-लंका, जनपद वाराणसी को अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **शमशाद व आदिल** को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए सत्र परीक्षण सं.-378/2016, मुकदमा अपराध सं.-10/2015, अन्तर्गत धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम

थाना-लंका, जनपद वाराणसी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण जमानत पर रहे हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामे निरस्त करते हुए उनके प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए का अनुपालन किया जा चुका है।

(सुनील कुमार III),
दिनांक-20.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०02, वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1826

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुनील कुमार III),
दिनांक-20.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०02, वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1826

Steno-Reena Chauhan